

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैंक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री मदन मोहन गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्मिक (ग) विभाग.सचिवालय.जयपुर से सचिव.जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स काडर).जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मदन मोहन गुप्ता द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री मदन मोहन गुप्ता को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री मदन मोहन गुप्ता को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मदन मोहन गुप्ता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री मदन मोहन गुप्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

1 सचिव.जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स काडर).जयपुर।

2 स. म. वि. कार्मिक (ग) विभाग.सचिवालय.जयपुर।

3 श्री मदन मोहन गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कार्मिक (ग) विभाग.सचिवालय.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री चन्द्रशेखर सारस्वत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उप निदेशक .तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग.जयपुर से निदेशक.कृषि विपणन विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चन्द्रशेखर सारस्वत द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री चन्द्रशेखर सारस्वत को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री चन्द्रशेखर सारस्वत को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** **मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री चन्द्रशेखर सारस्वत नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री चन्द्रशेखर सारस्वत को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/3458-1528

प्रतिलिपि:-

- 1 निदेशक.कृषि विपणन विभाग.जयपुर।
- 2 उप निदेशक .तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग.जयपुर।
- 3 श्री चन्द्रशेखर सारस्वत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय उप निदेशक .तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग.जयपुर ।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री अमर सिंह गहलोत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.निरीक्षण विभाग.जयपुर से निदेशक.पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अमर सिंह गहलोत द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री अमर सिंह गहलोत को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री अमर सिंह गहलोत को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** **मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री अमर सिंह गहलोत नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री अमर सिंह गहलोत को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:-15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/3458-8188
प्रतिलिपि:-

- 1 निदेशक.निरीक्षण विभाग.जयपुर।
- 2 निदेशक.पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग.जयपुर।
- 3 श्रीअमर सिंह गहलोत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.निरीक्षण विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in
क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री अरविन्द कुमार भारद्वाज, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी (ग्रामीण).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर से आयुक्त.वाणिज्यिक कर विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अरविन्द कुमार भारद्वाज द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री अरविन्द कुमार भारद्वाज को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री अरविन्द कुमार भारद्वाज को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री अरविन्द कुमार भारद्वाज नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री अरविन्द कुमार भारद्वाज को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2548

प्रतिलिपि:-

- 1 कोषाधिकारी (ग्रामीण).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।
- 2 आयुक्त.वाणिज्यिक कर विभाग.जयपुर।
- 3 श्रीअरविन्द कुमार भारद्वाज, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी (ग्रामीण).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)
क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री अशोक कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण आयुक्त.वाणिज्यिक कर विभाग.जयपुर से निदेशक.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री अशोक कुमार शर्मा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री अशोक कुमार शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री अशोक कुमार शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री अशोक कुमार शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

1 आयुक्त.वाणिज्यिक कर विभाग.जयपुर।

2 निदेशक.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग.जयपुर।

3 श्री अशोक कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय आयुक्त.वाणिज्यिक कर विभाग.जयपुर।


(अरविन्द दीक्रान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री उदय सिंह राठौड़, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण आयुक्त. चिकित्सा शिक्षा जयपुर से राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी राजमेस मुख्यालय, जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री उदय सिंह राठौड़ द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री उदय सिंह राठौड़ को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री उदय सिंह राठौड़ को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री उदय सिंह राठौड़ नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री उदय सिंह राठौड़ को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:-15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

1 आयुक्त. चिकित्सा शिक्षा जयपुर।

2 प्रबन्धक, राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी राजमेस मुख्यालय जयपुर।

3 श्री उदय सिंह राठौड़, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय आयुक्त. चिकित्सा शिक्षा जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री कमल किशोर अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.महात्मा गांधी नरेगा.जयपुर से निदेशक.राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कमल किशोर अग्रवाल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री कमल किशोर अग्रवाल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री कमल किशोर अग्रवाल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री कमल किशोर अग्रवाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री कमल किशोर अग्रवाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2546

प्रतिलिपि:-

- 1 निदेशक.महात्मा गांधी नरेगा.जयपुर।
- 2 निदेशक.राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग.जयपुर।
- 3 श्रीकमल किशोर अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.महात्मा गांधी नरेगा.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रामगोपाल खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी (ग्रामीण).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर से निदेशक.एन.सी.सी. विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामगोपाल खण्डेलवाल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री रामगोपाल खण्डेलवाल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री रामगोपाल खण्डेलवाल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** **मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री रामगोपाल खण्डेलवाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री रामगोपाल खण्डेलवाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

- 1 निदेशक.एन.सी.सी. विभाग.जयपुर।
- 2 कोषाधिकारी (ग्रामीण).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।
- 3 श्री रामगोपाल खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी (ग्रामीण).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कर्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रामजीवन जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण सचिव.जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स काडर).जयपुर से सहायक निदेशक (विस्तार).कृषि विभाग.सांगानेर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामजीवन जाट द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री रामजीवन जाट को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री रामजीवन जाट को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री रामजीवन जाट नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री रामजीवन जाट को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

- 1 सहायक निदेशक (विस्तार).कृषि विभाग.सांगानेर।
- 2 सचिव.जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स काडर).जयपुर।
- 3 श्री रामजीवन जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय सचिव.जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स काडर).जयपुर।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रामेश्वर प्रसाद जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण ग्रामीण विकास विभाग.सचिवालय.जयपुर से आयुक्त.परिवहन विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामेश्वर प्रसाद जाट द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री रामेश्वर प्रसाद जाट को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री रामेश्वर प्रसाद जाट को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री रामेश्वर प्रसाद जाट नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री रामेश्वर प्रसाद जाट को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:-15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

1 आयुक्त.परिवहन विभाग.जयपुर।

2 ग्रामीण विकास विभाग.सचिवालय.जयपुर।

3 श्री रामेश्वर प्रसाद जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय ग्रामीण विकास विभाग.सचिवालय.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रामलाल बुनकर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण मुख्य अभियंता (मुख्यालय).जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग.जयपुर से श्रम आयुक्त एवं मण्डल सचिव. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण मण्डल .श्रम विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामलाल बुनकर द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री रामलाल बुनकर को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री रामलाल बुनकर को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री रामलाल बुनकर नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री रामलाल बुनकर को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 2458-2538

प्रतिलिपि:-

- 1 श्रम आयुक्त एवं मण्डल सचिव. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण मण्डल .श्रम विभाग.जयपुर।
- 2 मुख्य अभियंता (मुख्यालय).जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग.जयपुर।
- 3 श्री रामलाल बुनकर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय मुख्य अभियंता (मुख्यालय).जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग.जयपुर।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री विनोद कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग.जयपुर से निदेशक .पशुधन विकास बोर्ड(एक्स काडर).जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विनोद कुमार जैन द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री विनोद कुमार जैन को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री विनोद कुमार जैन को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** **मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री विनोद कुमार जैन नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री विनोद कुमार जैन को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

1 निदेशक .पशुधन विकास बोर्ड(एक्स काडर).जयपुर।

2 निदेशक.साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग.जयपुर।

3 श्री विनोद कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in
क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री लोकेश माथुर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर से मुख्य अभियंता (मुख्यालय).जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री लोकेश माथुर द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री लोकेश माथुर को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री लोकेश माथुर को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री लोकेश माथुर नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री लोकेश माथुर को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 2458-2528

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता (मुख्यालय).जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग.जयपुर।
- 2 पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर।

- 3 श्री लोकेश माथुर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री मुरारी लाल अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण न्यायाधीश. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (मेट्रो).विधि विभाग.जयपुर से आयुक्त.आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मुरारी लाल अग्रवाल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री मुरारी लाल अग्रवाल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री मुरारी लाल अग्रवाल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** **मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मुरारी लाल अग्रवाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री मुरारी लाल अग्रवाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 2458 - 2528

प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 15.2.18

1 आयुक्त.आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग.जयपुर।

2 न्यायाधीश. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (मेट्रो).विधि विभाग.जयपुर।

3 श्री मुरारी लाल अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय न्यायाधीश. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (मेट्रो).विधि विभाग.जयपुर।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)
क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री मुकेश कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण महानिदेशक कारागार.गृह विभाग.जयपुर से एनालिस्ट कम प्रोग्रामर .सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग .जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मुकेश कुमार गुप्ता द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री मुकेश कुमार गुप्ता को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री मुकेश कुमार गुप्ता को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** **मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मुकेश कुमार गुप्ता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री मुकेश कुमार गुप्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15.2.18

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 2458-2528

प्रतिलिपि:-

- 1 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर .सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग .जयपुर।
- 2 महानिदेशक कारागार.गृह विभाग.जयपुर।
- 3 श्री मुकेश कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय महानिदेशक कारागार.गृह विभाग.जयपुर।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैंक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री मुकेश कुमार बैरवा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग(डीआईपीआर).जयपुर से कलक्टर (सहायता). आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग. जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मुकेश कुमार बैरवा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री मुकेश कुमार बैरवा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री मुकेश कुमार बैरवा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** **मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मुकेश कुमार बैरवा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री मुकेश कुमार बैरवा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 2458-2528

दिनांक:- 15.2.18

प्रतिलिपि:-

- 1 कलक्टर (सहायता). आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग. जयपुर।
- 2 निदेशक.सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग(डीआईपीआर).जयपुर।
- 3 श्री मुकेश कुमार बैरवा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग(डीआईपीआर).जयपुर ।


(अरविन्द दीव्यानि)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैंक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री मुकेश कुमार विजय, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर).जयपुर से महानिदेशक. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो . जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मुकेश कुमार विजय द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री मुकेश कुमार विजय को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री मुकेश कुमार विजय को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** **मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मुकेश कुमार विजय नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री मुकेश कुमार विजय को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 2458 — 2528

दिनांक:- 15.2.18

प्रतिलिपि:-

- 1 महानिदेशक. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो . जयपुर।
- 2 निदेशक.राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर).जयपुर।
- 3 श्री मुकेश कुमार विजय, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर).जयपुर ।


(अरविन्द धानानी)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रणवीर सिंह राजावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी.निर्वाचन विभाग.जयपुर से कोषाधिकारी (ग्रामीण).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रणवीर सिंह राजावत द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री रणवीर सिंह राजावत को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री रणवीर सिंह राजावत को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री रणवीर सिंह राजावत नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री रणवीर सिंह राजावत को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 2458-2528

प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 15.2.18

1 कोषाधिकारी (ग्रामीण).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

2 मुख्य निर्वाचन अधिकारी.निर्वाचन विभाग.जयपुर।

3 श्री रणवीर सिंह राजावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी.निर्वाचन विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री मोहन लाल जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी. फागी. जयपुर से विकास अधिकारी. पंचायत समिति. सांगानेर. जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मोहन लाल जाट द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री मोहन लाल जाट को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री मोहन लाल जाट को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मोहन लाल जाट नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री मोहन लाल जाट को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 2458-2528

दिनांक:- 15.2.18

प्रतिलिपि:-

- 1 विकास अधिकारी. पंचायत समिति. सांगानेर. जयपुर।
- 2 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी. फागी. जयपुर।
- 3 श्री मोहन लाल जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी. फागी. जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in
क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री मोहनलाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर से सचिव. अम्बेडकर पीठ.कला एवं संस्कृति विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मोहनलाल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री मोहनलाल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री मोहनलाल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मोहनलाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री मोहनलाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 2458-2528

प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 15.2.18

1 सचिव. अम्बेडकर पीठ.कला एवं संस्कृति विभाग.जयपुर।

2 पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर।

3 श्री मोहनलाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)